

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय , जौनपुर

प्रेषक—

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर



पत्रांक : 3284/कु.स./2025

दिनांक: 23.06.2025

कार्यालय आदेश (समर्थ पर रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में)

शासन के निर्देशानुसार सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के समस्त छात्रों का रजिस्ट्रेशन समर्थ पर कराया जाना अनिवार्य है, तदोपरान्त समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश लिया जाना है। शासन द्वारा प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार तथा शुक्रवार को समर्थ पर समीक्षा की जा रही है। लगातार निर्देशों के उपरान्त भी वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर में उक्त पर वांछित प्रगति नहीं हो रही है। उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाना अनिवार्य है:-

1. जिन महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा बिना समर्थ के रजिस्ट्रेशन के प्रवेश हेतु एडमीशन फार्म निर्गत कर दिये गये हैं उसके सम्बन्ध में शत-प्रतिशत छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
2. वर्तमान में समर्थ के रजिस्ट्रेशन के उपरान्त ही एडमीशन फार्म निर्गत किया जाय।
3. जिन संस्थानों द्वारा प्रवेश लिए गये हैं उन छात्र/छात्राओं का सम्पूर्ण विवरण तत्काल समर्थ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाय।
4. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सत्र के समस्त छात्र/छात्राओं का रजिस्ट्रेशन/प्रवेश समर्थ के माध्यम से ही कराया जाना है।
5. यदि कोई महाविद्यालय/संस्थान बिना समर्थ के सीधे प्रवेश लेती है तो उनका प्रवेश मान्य नहीं होगा तथा समस्त जिम्मेदारी उस महाविद्यालय की होगी।

अतः उक्त के क्रम में समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक से अनुरोध है कि कृपया समर्थ पर शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्तअधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
3. नोडल अधिकारी/समन्वयक, समर्थ पोर्टल।
4. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
5. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
6. प्रभारी वेबमास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव